केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(संपूर्ण स्वच्छता अभियान)

पर

दिशा-निर्देश

पेयजल आपूर्ति विभाग

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

जनवरी 2004

प्राक्कथन

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज सिर्फ 22 प्रतिशत था । स्वच्छता कवरेज को सुधारने , ग्रामीण आबादी की परेशानियों को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे । यद्यपि कवरेज को सुधारने के लक्ष्य से 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी0आर0एस0पी0) शुरू किया था, लेकिन सी0आर0एस0पी0 के कमजोर तौर - तरीके के कारण इसके लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका । सी0आर0एस0पी0 को 1999 में पुनः तैयार किया गया था और इसकी जगह मांग-जनित, समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0) शुरू किया गया था । अभी भी यह कार्यक्रम 374 जिलों में कार्यान्वयनाधीन है और अगले 2 वर्षों के अन्दर पूरे देश को टी0एस0सी0 के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

टी0एस0सी0 की शुरूआत से लेकर अब तक 5 वर्ष बीत गए हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक नई जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं और मौजूदा दिशा-निर्देशों को उनके अनुरूप संशोधित किया गया है । टी0एस0सी0 के अन्तर्गत आंगनबाड़ी स्वच्छता और विद्यालयों में स्वास्थ्य-शिक्षा पर जोर दिया गया है । इसीतरह, पूर्ण स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रेरणादायक योजना-" निर्मल ग्राम पुरस्कार" को भी संशोधित दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है । मुझे आशा है कि नए दिशा-निर्देश, जिनमें ग्रामीण स्वच्छता की सभी रूपरेखाएं शामिल हैं और इसके योजनाबद्ध कार्यान्वयन के लिए जांचे-परखे तौर-तरीके उपलब्ध हों, तो ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज को बढ़ाने से संबंधित प्रशासकों और स्थल कर्मियों के लिए यह उपयोगी होंगे

ह0/-
(पलाट मोहनदास)

नई दिल्ली
30 जनवरी,2004

आमुख

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0) ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में सुधार का साधन है । केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनः तैयार करने के बाद 1999 में टी0एस0सी0 शुरू किया गया था । यह कार्यक्रम, जहां समुदाय कार्यान्वयन में आगे आते हैं, वहां मांग-जनित आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है ।

यह कार्यक्रम व्यापक आई0ई0सी0 के माध्यम से प्रासंगिक स्वच्छता संबंधी आदतों के लिए वैचारिक और व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए जागरूकता पैदा करने पर जोर देता है । अब यह बी0पी0एल0 परिवारों में शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सिर्फ एक हार्डवेयर कार्यक्रम नहीं रह गया है बल्कि स्वच्छता सुविधाओं की मांग के सृजन के लिए समुदाय आधारित अभियान की प्रक्रिया को सरल करने वाला और विभिन्न आय-वर्गों और जल परिस्थितियों में परिवारों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सृजित मांग को पूरा करने वाला कार्यक्रम बन गया है ।

टी0एस0सी0 कार्यान्वयन के विगत पांच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए हैं । कार्यान्वयन की गति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रही है । स्थल कर्मियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जमीनी सच्चाई में बदलाव लाने के लिए दिशा-निर्देशों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है । संशोधित दिशा-निर्देश मई 2002 में दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद विद्यालयों और आंगनबाड़ी स्वच्छता, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता कवरेज को तेज करने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों और लिए गए नीति-निर्णयों का संकलन है ।

मैं आशा करता हूं कि संशोधित दिशा-निर्देश कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन में टी0एस0सी0 कर्मियों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी होंगे ।

ह0/-
(राकेश बिहारी)

नई दिल्ली, 29 जनवरी,2004

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन
आमुख
पृष्ठभूमि
उद्देश्य
कार्यनीति
कार्यान्वयन
घटक
क. प्रारम्भिक गतिविधियां
ख.आई.ई.सी. गतिविधियां
ग.ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा उत्पादन केंद्र
घ. निजी पारिवारिक शौचालयों का निर्माण
ड. सामुदायिक स्वच्छता परिसर
च. विद्यालय की स्वच्छता और स्वास्थ्य-शिक्षा एवं आंगनबाड़ी शौचालय
छ. प्रशासनिक प्रभार
राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति
विशेष प्रावधान
कार्यान्वयन एजेंसियां
पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
परियोजना का वित्त-पोषण
निधियों की रिलीज
परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग
रखरखाव
निरीक्षण
परियोजना में संशोधन
रिपोर्टें
मूल्यांकन
निर्मल ग्राम पुरस्कार
अनुसंधान
वार्षिक लेखा-परीक्षा
परियोजना की समाप्ति

अनुबंध

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(संपूर्ण स्वच्छता अभियान)

पृष्ठभूमि

1. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता मौटेतौर पर पेयजल की उपलब्धता तथा समुचित स्वच्छता पर निर्भर करता है । अतः जल,स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है । विकासशील देश में अशुद्ध पेयजल का सेवन, मल-मूत्र का काम चलाऊ ढंग से निपटान, पर्यावरण की अपर्याप्त स्वच्छता तथा व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता का अभाव कई रोगों के प्रमुख कारण हैं । इसमें भारत भी कोई अपवाद नहीं है । स्वच्छता की स्थिति ठीक न होने से ही मृत्यु दर अधिक है । इसी संदर्भ में 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम बुनियादी तौर पर चलाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारना तथा महिलाओं को गोपनीयता और आदर प्रदान करना था ।

2. पहले स्वच्छता से तालाबों, गड्ढों, पोखरों, संडासों और टोकरियों में मल-मूत्र को विसर्जित कर देने का ही आशय लिया जाता था । आज यह एक व्यापक अवधारणा बन चुकी है, जिसमें तरल और ठोस अपशिष्ट का निपटान-निकास,खाद्य सम्बन्धी साफ-सफाई व्यक्तिगत और अपने घर-बार सहित आसपास के वातावरण की सफाई शामिल है। समुचित स्वच्छता न केवल सेहत के मामले में जरूरी है बल्कि हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है । स्वच्छता अच्छे जीवन-स्तर और मानव विकास के आधारों में से एक है । ठीक ढंग से स्वच्छता रखने से जल और मिट्टी आदि का प्रदूषण नहीं फैलता तथा इससे रोगों की रोकथाम होती है। इस प्रकार, स्वच्छता की अवधारणा में अब व्यक्तिगत अतः स्वच्छता की अभिकल्पना का साफ - सफाई, घर की साफ-सफाई, साफ पेयजल,कूड़े-कर्कट का निपटान, मल-मूत्र और गंदे पानी के निकास को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया ।

3. 1996-97 में भारतीय जन संचार संस्थान के तत्वावधान में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र में जानकारी, प्रवृत्ति तथा आचरण के मामले में एक व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित किया गया था जिससे पता चला कि 55ऽ लोगों ने स्व-प्ररेणा से निजी शौचालय बना रखे हैं । केवल 2ऽ लोगों ने कहा कि ऐसा करने में सब्सिडी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत था जबकि 54ऽ ने कहा कि सुविधा और गोपनीयता के कारण वे

स्वच्छ शौचालय बनाए । अध्ययन से यह भी पता चला कि 51ऽ लोग स्वच्छ शौचालय बनवाने के लिए 1000/- रु0 तक की राशि खर्च करने के लिए तैयार थे ।

4. उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में सुधार किया गया था । नए स्वरूप में इस कार्यक्रम को मांग संचालित दृष्टिकोण के रूप में बनाया गया । नामक कार्यक्रम ' संपूर्ण स्वच्छता अभियान' में संशोधित दृष्टिकोण के अंतर्गत सूचना,शिक्षा एवं संचार, मानव संसाधन विकास,स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन और ग्रामीण लोगों के बीच जन जागरूकता की क्षमता विकास गतिविधयां करने पर अधिक बल दिया गया है । इससे लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वैकल्पिक परेषण-प्रणालियों के माध्यम से उपयुक्त विकल्पों को चुनने में क्षमता-बढ़ाने में भी मदद मिलेगी । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुदाय प्रधान और जनकेंद्रित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया गया है । नए विचारों और संकल्पनाओं को समझाने और उन्हें जनप्रिय बनाने में बच्चे प्रमुख भूमिका निभाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और जहां कहीं हो, मनुष्य द्वारा मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना । अतः इस कार्यक्रम का आशय उनके अपने मकानों और स्कूलों में सफाई की अच्छी आदतों के अत्यधिक आकर्षक समर्थन के रूप में उनकी क्षमता का उपयोग करने से है । इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों के सभी स्कूलों/आंगनबाड़ियों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग मूत्रालय/शौचालय उपलब्ध कराना भी है ।

उद्देश्य

5. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन-सहन में सुधार लाना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिए त्वरित कार्य ।
- जागरूकता और स्वास्थ्य-शिक्षा के माध्यम से स्वच्छतागत सुविधाओं के लिए और मांग पैदा करना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों/आंगनबाड़ियों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करना और विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य-शिक्षा को बढ़ावा देना और साफ-सफाई की आदत डालना ।
- स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और जहां कहीं हो, मनुष्य द्वारा मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना ।
- अतः इस कार्यक्रम का आशय उनके अपने मकानों और स्कूलों में सफाई की अच्छी आदतों को अत्यधिक आकर्षक समर्थन के रूप में उनकी क्षमता का उपयोग करने से है ।

कार्यनीतिः

6. कार्यनीति कार्यक्रम को समुदाय-प्रधान एवं जन-केन्द्रित बनाने की है । 'मांग आधारित दृष्टिकोण' को घरों, विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के प्रति और स्वच्छ वातावरण हेतु लोगों में जागरूकता और मांग पैदा करने पर बल देते हुए अपनाया जाना है । समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली को अपनाया जाएगा । निजी पारिवारिक शौचालय इकाइयों के लिए सब्सिडी के स्थान पर अत्यधिक गरीब परिवारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से स्वीकार करने के लिए ग्रामीण विद्यालयों की स्वच्छता एक प्रमुख घटक और इसका आरंभिक बिन्दु है। उपभोक्ता की पसन्द को पूरा करने के लिए स्थान विशेष के प्रौद्योगिकी विकल्प, पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी वाला गहन आई.ई.सी. अभियान, सहकारी समितियां, महिला समूह, स्व-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन आदि भी इस कार्यनीति के महत्वपूर्ण अंग हैं । यह कार्यनीति ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों में बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी आदतों के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक बदलाव लाने और अलग-अलग प्रौद्योगिकी रूचियों का स्तर प्रदान करते हुए सस्ते और सुलभ ढंग से उनकी स्वच्छता हार्डवेयर आवश्यकताओं को पूरा करती है ।

7. कार्यान्वयन

संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्यान्वयन परियोजना पद्धति पर करने का प्रस्ताव है। परियोजना प्रस्ताव को जिलों में तैयार किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा उनकी जांच की जाती है और भारत सरकार (पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय) को भेज दिया जाता है । संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारंभिक गतिविधियों के साथ चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाता है । प्राथमिक आई.ई.सी. कार्यों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । इनका वास्तविक कार्यान्वयन उनकी ऐसी जरूरतों को पूरा करना है जिनमें व्यक्तिगत लाभार्थी अपने घरेलू शौचालयों के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से चुनाव कर सकें । इससे गरीबों और लाभ से वंचित परिवारों

को उनकी जरूरतों और आर्थिक स्थिति के अनुसार बाद में उन्हें बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा । ' अभियान दृष्टिकोण' में, यद्यपि सरकारी एजेंसियों और अन्य स्टेक होल्डरों के बीच आपसी क्रियाकलाप होते हैं, गैर सरकारी संगठनों पंचायती राज संस्थाओं/स्त्रोत संगठनों की भागीदारी से संबद्ध स्वच्छता संबंधी प्रथाओं में वांछित व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए गहन आई.ई.सी. और समर्थन मिलता है, साथ ही स्वच्छता हार्डवेयर के लिए बनी मांग की पूर्ति के लिए वैकल्पिक डिलीवरी प्रणाली, उपयुक्त तकनीकी विनिर्देशन, डिजाइन और बेहतर स्थापनाएं भी उपलब्ध होती हैं ।

8. संपूर्ण स्वच्छता अभियान को जिले में एक इकाई के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यदि भारत सरकार से इसके लिए सहायता चाहते हैं, तो उन्हें सहायता की प्रतिबद्धता के साथ चयनित जिलों के लिए एक टी.एस.सी. परियोजना बनानी होती है । किसी राज्य में टी.एस.सी. परियोजनाओं की संख्या राज्य द्वारा की गई मांग के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनके निष्पादन के आधार पर आबंटित की जाती है । जिलों का चयन संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है । देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने के लिए परियोजनाधीन जिलों की संख्या को उत्तरोत्तर बढ़ाई जाएगी । परियोजनाधीन जिले में टी.एस.सी. परियोजना चक्र का कार्यान्वयन पूरा कराने की संभावित अवधि लगभग चार वर्ष या इससे कम है ।

घटक

9. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम घटकों और गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है-

(क) प्रारम्भिक गतिविधियां

प्रारम्भिक गतिविधियों में शामिल स्वच्छता एवं साफ-सफाई की आदतों, लोगों की मनोवृत्ति और बेहतर मांग आदि का आकलन करने के लिए आरंभिक सर्वेक्षण, इसका उद्देश्य यह है कि जिले की टी.एस.सी. परियोजना को भारत सरकार से सहायता लेने के प्रस्ताव सहित भेजा जाए । प्रारंभिक गतिविधियों में बेस लाइन सर्वेक्षण(बी.एल.एस.), परियोजना कार्यान्वयन आयोजना(पी.आई.बी.) तैयार करना,जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम प्रबंधकों का प्रारंभिक अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण भी शामिल है । प्रारंभिक

गतिविधियों पर आई लागत का पूरा व्यय भारत सरकार से सहायतार्थ प्राप्त राशि से लिया जाएगा और इसे कुल परियोजना लागत के 5ऽ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

(ख) सूचना,शिक्षा और संचार(आई.ई.सी.) गतिविधियां

सूचना,शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं । इसका उद्देश्य है- ग्रामीण क्षेत्रों के घरों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी,बालवाड़ी तथा सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों में स्वच्छता-सुविधाओं के लिए मांग उत्पन्न करना । इस अंग के तहत की जाने वाली गतिविधियां स्थानीय चरित्र की होनी चाहिए और उनमें ग्राम के सभी वर्गों के लागों का इस प्रकार समावेश होना चाहिए कि वे स्वच्छ शौचालय के उपयोग और निर्माण की ओर प्रेरित हों । प्रेरक को आई.ई.सी. के लिए निर्धारित निधि से उपयुक्त मानदेय दिया जा सकता है । यह मानदेय-राशि कार्यनिष्पादन के अनुसार होनी चाहिए अर्थात् उसने कितने घरों और विद्यालयों/आंगनबाड़ियों में शौचालय के निर्माण और गंदा पानी सोखने के लिए गड्ढे खुदवाने तथा इन्हें उपयोग करने की प्रेरणा दी है। आई.ई.सी. गतिविधि को स्वास्थ्यकारी और साफ-सफाई वाली आदतों और पर्यावरण-स्वच्छता के पक्षों पर भी केन्द्रित होना चाहिए । इसके अंतर्गत, किसी सामुदायिक भवन की दीवार रंगकर अथवा किसी होर्डिंग पर उस पंचायत में किए गए कार्यों का ब्यौरा देना चाहिए । इसके अलावा, मांग पैदा करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा केबल टी.वी. पर आडियो/वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई जा सकती है । आई.ई.सी. के लिए खर्च की गई राशि में भारत सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 80:20 अनुपात में रखी जाए और आई.ई.सी. पर आया कुल व्यय कुल परियोजना परिव्यय के 15ऽ से कम नहीं होना चाहिए । प्रत्येक परियोजनाधीन जिला, समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए परिभाषित कार्यनीतियों के साथ विस्तृत सूचना,शिक्षा,संचार कार्य योजना तैयार करे। इस संचार योजना का लक्ष्य जीवन शैली के रूप में साफ-सफाई संबंधी आदतों को अपनाने के लिए ग्रामीण लोगों को प्रेरित करना है ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित सभी सुविधाओं को विकसित किया जा सके और उनका रखरखाव हो सके ।

सूचना,शिक्षा,संचार के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग लोगों के साथ-साथ विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्य-शिक्षा देने के लिए किया जा सकता है ।

(ग) ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा उत्पादन केन्द्र

ग्रामीण स्वच्छता मार्ट (आर.एस.एम.) एक ऐसी दुकान है,जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, बल्कि व्यक्ति, परिवार और पर्यावरण की स्वच्छता आवश्यकताओं के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी । ग्रामीण स्वच्छता मार्ट में ऐसी वस्तुएं, जो स्वच्छता कार्यक्रम के लिए आवश्यक हों, अवश्य मौजूदा होनी चाहिए । वस्तुतः यह एक वाणिज्यिक कार्य है, जिसे एक सामाजिक उद्देश्य के तहत बनाया गया है । ग्रामीण स्वच्छता मार्ट रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न प्रकार के शौचालयों का निर्माण करने और अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए आवश्यक वे सभी सामग्रियां, सेवाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय और वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो । निर्माण-केंद्र लागत-प्रभावी तथा क्रयशक्तिगत स्वच्छता सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने के साधन के रूप में रहेंगे । इन निर्माण केंद्रों/ग्रामीण स्वच्छता मार्टों को गैर सरकारी संगठनों /स्वसहायता समूहों/महिला संगठनों/पंचायतों द्वारा प्रारंभ और प्रचालित किया जा सकता है । इस प्रयोजनार्थ सरकारी परिव्यय की कुल लागत के 5 प्रतिशतांश से कम (अधिक से अधिक 35.00 लाख रुपये)हिस्सा रखा गया है । इस मद में भारत सरकार और राज्य सरकार के खर्चे का अनुपात पुनः 80:20 का रहेगा । इसके अलावा, टी.एस. सी. परियोजना के तहत,प्रति ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/प्रति निर्माण केंद्र,अधिकतम 3.5 लाख रु0 की राशि प्रदान की जा सकती है । शेड बनाने,कारीगरों के प्रशिक्षण और आवर्ती निधि के रूप में भी निधियां दी जा सकती हैं । जब ग्रामीण स्वच्छता मार्ट /निर्माण केंद्र की आय इतनी हो जाए कि संचालन सुलभतापूर्वक होने लगे, तो यह आवर्ती निधि जिला कार्यान्वयन एजेंसी को लौटा दी जानी चाहिए । जिला कार्यान्वयन एजेंसी, मार्ट/उत्पादन केंद्र प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्य प्रशिक्षण संस्थाओं/विशेषज्ञों की पहचान करे । उनके पास ग्रामीण स्वच्छता मार्टों/उत्पादन केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन भी होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण स्वच्छता मार्ट एवं उत्पादन केंद्र एक उद्यम के रूप में सफल है और कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करता है, संयुक्त निगरानी की व्यवस्था करें ।

(घ) निजी पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

पूरी तरह से तैयार पारिवारिक शौचालय में एक कम लागत वाली यूनिट (जिस पर और कोई अधिसंरचना नहीं होगी) रहेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान मौजूद सभी सूखे शौचालयों को पॉर फ्लश शौचालयों में बदला जाना चाहिए । कार्यक्रम का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करना है । योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जा सकता है बशर्ते समुदाय की पूर्ण

सहभागिता के लिए इसे आवश्यक माना गया हो । पारिवारिक शौचालयों का निर्माण स्वयं बी.पी.एल. परिवारों द्वारा शुरू किया जाना चाहिए और निर्माण पूरा होने के पश्चात् इसका उपयोग बी.पी.एल. परिवारों द्वारा किया जाना चाहिए । नकद प्रोत्साहन राशि बी.पी.एल. परिवार को इनकी उपलब्धि की पहचान के पश्चात् दी जा सकती है । बी.पी.एल. परिवार को प्रोत्साहन राशि सहित निजी पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार हैः-

कम लागत वाली बेसिक यूनिट लागत (रु0) में	अंशदान					
	भारत सरकार		राज्य सरकार		परिवार	
	बी.पी.एल.	ए.पी. एल	बी.पी.एल.	ए.पी. एल.	बी.पी.एल.	ए.पी. एल.
625 रू0 तक (एक गड्ढा)	60 प्रतिशत	शून्य	20 प्रतिशत	शून्य	20 प्रतिशत	100 ऽ
625 रू0 और 1000 रू0 के बीच	30 प्रतिशत	शून्य	30 प्रतिशत	शून्य	40 प्रतिशत	100 ऽ
1000 रू0 से ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100 प्रतिशत	100 ऽ

केंद्र सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि, उपर्युक्त सारणी में दी गई कम लागत वाली बेसिक यूनिट लागत के संदर्भ में सतत् स्वीकार्य होगी और किसी भी मामले में केंद्रीय प्रोत्साहन राशि की मात्रा स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यह माना गया है कि ए.पी.एल. परिवार, प्रोत्साहन के जरिए स्वयं ही पारिवारिक शौचालय का निर्माण शुरू करेंगे । तथापि, सूचना,शिक्षा,संचार गतिविधियां बिना अपवाद के जिले में सभी परिवारों को कवर करेंगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों के निर्माण की अनुमति नहीं है । मौजूदा सूखे शौचालय, यदि कोई हों, को पॉर फ्लश शौचालयों में बदला जाना चाहिए और प्रति इकाई लागत एवं अंशदान पद्धति निजी पारिवारिक शौचालयों के निर्माण की तरह ही रहेगी ।

(ड.) सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स :

सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स टी.सी.एस. का एक महत्वपूर्ण उपादान है। इन कॉम्पलेक्सों को गांव में किसी भी ऐसी जगह बनाया जा सकता है, जो महिलाओं/पुरूषों/भूमिहीन परिवारों को स्वीकार्य हो और जहां वे आसानी से आ जा सकें। इन कॉम्पलेक्सों की देखरेख अत्यंत आवश्यक बात है, जिसकी अंतिम जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को लेनी होगी अथवा ग्राम स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। लाभार्थी के हिस्से का अंशदान पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है । सामुदायिक कॉम्पलेक्स के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत 2 लाख रु0 तक है । तथापि, इसे इसके विस्तृत डिजाइन और प्राक्कलन के आधार पर राष्ट्रीय योजना संस्वीकरण समिति द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा । केन्द्र सरकार , राज्य सरकार और समुदाय के बीच हिस्सेदारी 60:20: 20 के अनुपात में होगी। तथापि, सामुदायिक अंशदान पंचायत द्वारा किया जा सकता है । इस मद में व्यय की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी । तथापि, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स और निजी पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय, कुल शासकीय परिव्यय के 60 प्रतिशत के अन्दर होना चाहिए।

(च) विद्यालय स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा :

बच्चों मे नये तौर-तरीके और नई बातें सीखने की प्रवृत्ति होती है और विद्यालय/आंगनबाड़ी इसके लिए एक उपयुक्त जगह हैं, जहां कि प्रेरणा के जरिए खुले में शौच करने की बच्चों की आदत को बदला जा सकता है । यदि बच्चों को विद्यालय में शौचालय का इस्तेमाल करना सिखाया जाए और शिक्षक उन्हें स्वच्छता संबंधी शिक्षा दें, तो निश्चय ही वे घर जाकर ये बातें अपने माता-पिता और संबंधियों से कहेंगे तथा इससे अच्छी आदतों का प्रसार होगा । अतएव, विद्यालय की स्वच्छता प्रत्येक टी.एस.सी. परियोजना का एक अभिन्न भाग है । सभी प्रकार के सरकारी विद्यालयों अर्थात् प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक एवं आंगनबाड़ी में शौचालय बनाए जाएं । विद्यालय को बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने पर अधिक बल दिया जाए । 20,000/- रू0 की लागत वाली एक यूनिट के लिए केन्द्रीय सहायता 12,000/- रू0 प्रति यूनिट पर बंधित रहेगी । बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाए जाएं, जिन्हें दो पृथक यूनिटें माना जाएगा और प्रत्येक यूनिट पर 12,000 रू. की केन्द्रीय सहायता की पात्रता रहेगी । टी.एस.सी. परियोजना के तहत विद्यालय की स्वच्छता को लिए वित्तपोषण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अभिभावक-शिक्षकगणों द्वारा 603010 के अनुपात में किया जाएगा । अभिभावक-शिक्षकगणों के हिस्से में ग्राम पंचायत भी 10 प्रतिशत का अंशदान कर सकती है ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, अभिभावक-शिक्षक-संगठन और पंचायतें अपने संसाधनों के माध्यम से निर्धारित धनराशि से जितना चाहें, अधिक अंशदान कर सकते हैं । टी.एस.सी. परियोजना निधि के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्से को विद्यालय की स्वच्छता के लिए खर्च किया जा सकता है । विद्यालयों में हार्डवेयर सृजन के अलावा यह आवश्यक है कि बच्चों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है । इस उद्देश्य के लिए हर विद्यालय में कम-से-कम एक शिक्षक को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए, जो साफ-सफाई संबंधी आदतों पर जोर देने वाली रूचिकर गतिविधियों और सामुदायिक परियोजनाओं के जरिए बच्चों को प्रशिक्षण दें । इस कार्य में हुए व्यय को परियोजना के लिए निर्धारित आई0ई0सी0 निधि से पूरा किया जा सकता है ।

आंगनबाड़ी शौचालय

जीवन के आरंभिक चरण से ही बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि आंगनबाड़ी का उपयोग बच्चों के साथ-साथ आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले मंच के रूप में किया जाए । इस उद्देश्य के लिए हर आंगनबाडी को एक बाल अनुकूल शौचालय मुहैया कराया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में हर आंगनबाड़ी या बालवाड़ी के लिए 5,000 रू0 तक की इकाई लागत वाला एक शौचालय बनाया जा सकता है, जिसमें 3,000 रू0 तक की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी । अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार या पंचायतों द्वारा पूरा किया जा सकता है । चूंकि निजी मकानों से संचालित किए जाने वाली आंगनबाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए निन्नलिखित कार्यनीति अपनाई जा सकती है (क) वे सभी आंगनबाड़ी, जो शासकीय भवनों में है, में निर्धारित सीमा तक टी0एस0सी0 निधियों में से बाल अनुकूल शौचालय बनाए जा सकते हैं । (ख) वे आंगनबाड़ी, जो निजी भवनों में हैं, मकान मालिक को निर्धारित डिजाइन के अनुसार शौचायल बनाने के किए कहा जाना चाहिए और निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए उसे भवन किराए को बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, टी0एस0सी0 के तहत शौचालय बनाए जा सकते हैं और एक निर्धारित अवधि तक लागत की वसूली के लिए, मकान मालिक को दिए जाने वाले मासिक किराए में से उपयुक्त कटौती की जा सकती है । (ग) उन नए भवनों के लिए, जिन्हें आंगनबाड़ियों के लिए किराए पर लिया जाना है, सिर्फ उन भवनों को ही किराए पर लिया जाना चाहिए जिनमें बाल अनुकूल शौचालय सुविधा हों । कुल

शासकीय परिव्यय के 10 प्रतिशत से अधिक का उपयोग विद्यालय स्वच्छता और आंगनबाड़ी शौचालयों के लिए किया जा सकता है ।

प्रशासनिक प्रभारः

(छ) प्रशासनिक प्रभारों में शामिल हैं - परियोजना अवधि के दौरान नियुक्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, वेतन पर हुआ व्यय, सहायक सेवाएं, ईंधन आदि का खर्च, वाहन किराया, लेखन-सामग्री तथा टी0एस0सी0 परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन पर हुआ खर्च । तथापि, टी0एस0सी0 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भी स्थिति में कोई भी अतिरिक्त पद न ही सृजित किए जाएंगे और न ही अलग से कोई वाहन खरीदे जाएंगे । लेकिन परियोजनाओं को व्यावसायिक तरीके से कार्यान्वित करने के लिए, परियोजना अवधि के लिए संचार, मानवसंसाधन विकास, विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-शिक्षा और निगरानी के क्षेत्र से विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की सेवा ली जा सकती है । परामर्शदाताओं का शुल्क प्रशासनिक प्रभारों से दिया जा सकता है । प्रशासनिक प्रभारों का उपयोग वाहन आदि खरीदने के लिए नहीं किया जाना चाहिए । दिनांक 4 मार्च, 2003 के ओ0एम0सं0 डब्ल्यू-11013/4/2000-सी0आर0एस0पी0 के द्वारा "क्या करें" और "क्या न करें" की एक सूची परिचालित की गई है । इसका अनिवार्यरूप से अनुपालन किया जाना चाहिए । इसकी एक प्रति अनुबंध -11 में दी गई है । प्रत्येक जिले में सहायक सामग्री सहित एक कम्प्यूटर खरीदने की अनुमति है ।

राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति

10. राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एन.एस.एस.सी.) का गठन चयनित जिलों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की ओर से भेजे गए परियाजना-प्रस्तावों की मंजूरी के लिए किया गया था । सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समिति का अध्यक्ष होगा । इसमें 6 सदस्य रहेंगे । भारत सरकार के अधिकारी दो सदस्यों के रूप में रहेंगे, अर्थात् अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव (प्रौद्योगिकी मिशन) ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र के चार विशेषज्ञ इसके गैर सरकारी सदस्य होंगे ।

विशेष प्रावधान

स्वच्छ शौचालयों के लिए जिला, ब्लॉकों,ग्रामों तथा मांग का चयन करते समय यह ध्यान रखने के लिए समाज के कमजोर वर्गों और लाभ-वंचित वर्गों को पयाप्त रूप से सम्मिलित रखा जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए । पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए निर्धारित कुल प्रोत्साहन राशि में से, कम-से-कम 25ऽ धनराशि अनु0जाति और अनु0जनजाति वर्ग के अलग-अलग परिवारों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए ।

12. इसके अलावा, बी.पी.एल. परिवारों के लिए अलग शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि 3ऽ अपंग व्यक्तियों वाले परिवारों को दिया जाएगा । इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि विद्यालयों और अन्य संस्थानों में शौचालयों का निर्माण करते समय उन्हें इस तरीके से बनाया जाए कि अपंग छात्र-छात्राएं और विकलांग व्यक्ति भी उनका इस्तेमाल कर सकें ।

कार्यान्वयन एजेंसियां

13. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए वृहद् पैमाने पर सामाजिक जागरण की आवश्यकता है, ताकि जिला स्तर पर इसका कार्यान्वयन , जिला पंचायत द्वारा किया जा सके । यदि जिला पंचायत अस्तित्व में नहीं है, तो जिला जल एवं स्वच्छता मिशन परियोजना को कार्यान्वित करे । तथापि, टी0एस0सी0 और स्वजलधारा दोनों का कार्यान्वयन इन्हीं एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए । लाइन विभाग कार्यान्वयन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगें ।

14, राज्य स्तर पर, राज्य सरकार परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक उपयुक्त सांस्थानिक व्यवस्था करे और टी0एस0सी0 के कार्यान्वयन में जिलों को सुविधा प्रदान करे । तथापि, उन राज्यों में जहां जल आपूर्ति और स्वच्छता दो अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित किए जाते हैं, सांस्थानिक संरचना भी बनाया जा सकता है बशर्ते जल अपूर्ति को संचालित करने वाले कर्मचारी इस सांस्थानिक संरचना के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हों । राज्य स्तर पर संचार,मानव संसाधन विकास, निगरानी और विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-शिक्षा के क्षेत्र से विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा सकती हैं । इन परामर्शदाताओं की सेवा लेने में हुए व्यय को उपलब्ध मानव संसाधन विकास निधि के अंतर्गत भारत सरकार और राज्यों द्वारा 75:25 के आधार पर

वहन किया जाएगा । इसी तरह, पूरे राज्य के लिए सामान्य सूचना-शिक्षा-संचार और मानव संसाधन विकास गतिविधियां राज्य स्तर पर शुरू की जा सकती हैं, जिसके लिए 75:25 के अंशदान आधार पर राज्यों को सीमित निधि दी जा सकती है । इस कार्यक्रम के लिए किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अलग बैंक खाता खोला जाएगा ।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

15. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार, स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके अनुसार पूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका है। पंचायत, शौचालयों के निर्माण के लिए सामाजिक कार्यबल जुटाएगी और अपशिष्ट का सुरक्षित ढंग से निपटान करके पर्यावरण को स्वच्छ भी बनाए रखेगी । संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक कॉम्पलेक्सों की देखरेख पंचातयों/स्वैच्छिक संगठनों/दातव्य न्यासों इत्यादि द्वारा की जाएगी । विद्यालय की स्वच्छता के लिए पंचायतें अपने संसाधनों से निर्धारित सीमा से अधिक भी अंशदान कर सकती हैं । वे टी.सी.एस. के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों, यथा, सामुदायिक कॉम्पलेक्स, पर्यावरणीय घटकों, निकास व्यवस्था इत्यादि के अभिभावक की भूमिका भी निभाएंगी । पंचायतों को निर्माण केंद्र/ग्रामीण स्वच्छता मार्ट खालने तथा उन्हें चलाने का अधिकार भी रहेगा ।

गैर-सरकारी संगठनों(एन.जी.ओ.)की भूमिका

16. ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें सूचना-शिक्षा-संचार (साफ्टवेयर) गतिविधियों के साथ-साथ मैदानी कार्य में भी सक्रिय रूप से जुटना पड़ेगा। उनकी सेवाएं केवल इतने के लिए ही नहीं वांछित है कि ग्रामीण स्वच्छता के लिए ग्रामवासियों में जागरूकता पैदा की जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी उन्हें कटिबद्ध रहना पड़ेगा कि वे उन स्वच्छ शौचालयों का वाकई इस्तेमाल करें । गैर सरकारी संगठन भी ग्रामीण स्वच्छता मार्ट और निर्माण केंद्र खोल और चला सकने के लिए प्राधिकृत रहेंगे । गैर-सरकारी संगठनों को बेसलाइन सर्वे करने और पी.आर.ए. विशेषकर स्वास्थ्य, जल उपयोग, संचालन और रखरखाव आदि के संबंध में प्रमुख व्यवहारों का चयन एक पारदर्शी मानदंड को अपनाते हुए किया जाना चाहिए ।

परियोजना का वित्त-पोषण

17. निम्न तालिका संपूर्ण स्वच्छता अभियान(टी.एस.सी.) परियोजना के अलग-अलग घटक के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार के हिस्से और प्रत्येक घटक के लिए लाभार्थी के योगदान की प्रतिशत हिस्सा आबंटन(यानी कुल अनुमोदित टी.एस.सी. परियोजना लागत) को दर्शाती है । केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में टी.एस.सी.के तहत राज्य का हिस्सा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

तालिका

संपूर्ण स्वच्छता अभियान घटक के अनुसार निर्धारण और वित्तपोषण की पद्धति

क्र0सं0	घटक	संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना के प्रारूप के प्रतिशत रूप में चिन्हित राशि	योगदान का प्रतिशत		
			भारत सरकार	राज्य	लाभार्थी परिवार/ समुदाय
क.	प्रारंभिक गतिविधियां (आरंभिक सर्वेक्षण, प्रचार आदि)	5S से कम (प्रति जिला 20 लाख रु0तक)	100	0	0
ख.	सूचना-शिक्षा-संचार (आई ई सी) अभिप्रेरक बोध तथा शिक्षाप्रद प्रचार,समर्थन आदि	15S से अधिक	80	20	0
ग.	स्थानापन्न आपूर्ति तंत्र (पीसी/आरएसएम)	5S से अधिक (प्रति जिला अधिकतम 35 लाख रूपए तक)	80	20	0
घ.	(त्) बी.पी.एल./अक्षम परिवारों के लिए निजी शौचालय (त्त्) सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स	60S से कम दिशा निर्देश के पैरा 9(घ) के अध्यधीन	60	20	20

ड.	ए.पी.एल.के लिए निजी पारिवारिक शौचालय	शून्य	0	0	100
च.	आंगनबाड़ी सहित विद्यालय स्वच्छता (हार्डवेयर एवं समर्थन सेवाएं)	10S से अधिक	60	30	10
छ.	प्रशिक्षण, कर्मचारी,समर्थक सेवाएं,संचालन एवं मूल्यांकन समेत प्रशासनिक शुल्क	5S से कम (प्रति जिला 40 लाख रु0तक)	80	20	0

18. किसी भी स्थिति में गतिविधियां शुरू करने और प्रशासनिक प्रभारों से संबंधित घटकों के लिए निर्धारित प्रतिशत, परियोजना परिव्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

निधियों की रिलीज

19. परियोजना संचालित करने वाली एजेंसी को केंद्रीय सहायता चार किस्तों(30,30,30,10) में दी जाएगी । पहली किस्त राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति(नेशनल स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी)द्वारा जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी और बैंक का नाम तथा खाता संख्या आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त करने से संबंधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के तत्काल बाद जारी कर दी जाएगी । अन्य किस्तें निम्नलिखित शर्त्तों पर जारी की जाएंगीः-

रु. **राज्य अंश की रिलीजः** संबद्ध परियोजनाधीन जिले को राज्य अंश कम-से-कम केंद्रीय अंश अनुपात में रिलीज किए जाएं और इसे केंद्रीय अंश के रिलीज किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर रिलीज किए जाएं ।

रुरु. **परिवार/सामुदायिक अंशदानः** संचालित सभी हार्डवेयर गतिविधियों के लिए ए.पी.एल.परिवार सहित संबंधित परिवार/समुदाय से अंशदान लिया जाना चाहिए और इसे प्रगति रिपोर्ट में उपयुक्त तरीके से दर्शाया जाना चाहिए ।

ख्ख्ख्. **व्यय और उपयोग प्रमाणपत्रः** ब्याज सहित केंद्रीय अंश के साथ-साथ राज्य अंश के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का कम से कम 60ऽ का उचित उपयोग किया जाए । केंद्रीय और राज्य अंश के अंतर्गत अलग-अलग 60ऽ से अधिक का उपयोग किया जाना चाहिए । केंद्रीय निधि और राज्य निधि के लिए अलग-अलग उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रत्येक वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र भेजा जाना चाहिए और इसे उस वर्ष से भेजा जाना चाहिए जिस वर्ष में परियोजना स्वीकृत की गई थी और निधि रिलीज की गई थी । सभी उपयोग प्रमाणपत्रों पर अध्यक्ष-डी.डब्ल्यू.एस.एम./डी.आर.डी.ए./जिला कलक्टर या जिला परिषद के जेड.ई.ओ. के जैसी भी स्थिति हो,हस्ताक्षर होने चाहिए (अनुबंध-ज्र्)

ख्ज. **लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्रः**टी.एस.सी. परियोजना के लेखों का वार्षिक लेखा-परीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा किया जाना चाहिए । अगली किस्तों की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय विगत वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस पर अध्यक्ष-डी.डब्ल्यू.एस.एम./डी.आर.डी.ए./जिला कलक्टर या सी.ई.ओ., जिला पंचायत के, जैसी भी स्थिति हो, हस्ताक्षर होने चाहिए । यदि समान वित्तीय वर्ष में निधियों की दूसरी किस्त के दावे किए जाते हैं, तो वित्तीय वर्ष(उस अवधि तक जिसके लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हैं) के उस भाग के लिए लेखों का लेखा-परीक्षण किया जाना चाहिए। सनदी लेखाकार के लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में अनुबंध- ख्ख्ख् और ख्ज में दिए गए मुद्दे शामिल होने चाहिए और संलग्न फार्मेट (अनुबंध-ज से ख्ज्र्) में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

ज. **कोई अस्वीकार्य मदों की खरीददारी न करने के संबंध में प्रमाणपत्रः** इस विभाग को इसके दिनांक 4.3.2003 के पत्र सं0 डब्ल्यू-11013/4/2000-सी.आर.एस.पी.के माध्य से टी.एस.सी. परियोजना जिलों(अनुबंध-ज्ख्) के लिए कतिपय ‘‘क्या करेंःु औरःु ‘‘क्या न करेंःु निर्धारित किये गए हैं । डी.डब्ल्यू.एस.पी.के अध्यक्ष/डी.आर.डी.ए./जिला कलक्टर या सी.ई.ओ,जिला परिषद,जैसी भी स्थिति हो,द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाए जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि ऊपर उल्लिखित पत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

ज्ख्. दूसरी या परवर्ती किस्त का प्रस्ताव ग्रामीण सफाई व्यवस्था रखने वाले राज्य सरकार से संबद्ध प्रशासनिक विभाग के माध्यम से जिला कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भेजा जाना चाहिए ।

ज्ख् ख्. अंतिम किस्त सिर्फ उपलब्ध निधि(केंद्र और राज्य द्वारा अलग-अलग) के कम से कम 80S खर्च करने और पिछले वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र और एजी प्रमाणपत्र/चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी ।

ज्ख्ख्ख्. अन्य शर्तें समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं ।

परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग

20. संपूर्ण स्वच्छता अभियान धनराशि (केन्द्रीय, राज्य एवं लाभार्थी/पंचायत) किसी बैंक खाते में रखी जानी चाहिए। परियोजनागत धनराशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग पूर्ण स्वच्छता अभियान संसाधनों के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए । जिला कार्यान्वयन एजेंसी संपूर्ण स्वच्छता अभियान धनराशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान जिले में अंतिरिक्त आई.ई.सी.,गतिविधियों के उद्देश्य के लिए जो कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय सीमाओं से अधिक न हो और अतिरिक्त हार्डवेयर अधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए कर सकती है । जिला कार्यान्वयन एजेंसी को अगली किस्त की रिलीज के साथ-साथ संपूर्ण स्वच्छता अभियान निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और इसे उपयोग प्रमाणपत्र में दर्शाया जाना चाहिए ।

रख-रखाव

21. समुदाय,खासकर परिवार के सभी सदस्यों को सृजित स्वच्छता सुविधाओं का उचित अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है । निजी पारिवारिक स्वच्छ शौचालय के रखरखाव का खर्च परिवारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए । सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की रखरखाव लागत पंचायतों/स्वैच्छिक संगठनों/परोपकारी संस्थाओं/स्वयं सहायता द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है । संचालन और रखरखाव लागत पूरी करने के लिए सफाई परिसरों के संचालन और रखरखाव संस्थान/संगठन,उपयोगकर्त्ताओं से उचित शुल्क वसूल सकते हैं । संबद्ध विभाग, विद्यालय/आंगबाड़ी शौचालयों के रखरखाव के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएं।

निरीक्षण

22. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्य क्षेत्र के नियमित निरीक्षण के माध्यम से संचालन किया जाना आवश्यक है । निरीक्षण के तहत इसकी जांच की जानी चाहिए एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य मानदंड के अनुसार ही हो रहा है, शौचालय से जल संसाधन प्रदूषित नहीं हो रहे हैं और यह भी देखा जाना चाहिए कि निर्माण के बाद लाभार्थियों का उचित चयन तथा शौचालयों का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं । कुछ निरीक्षणों के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वच्छ शौचालयों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है । ग्राम पंचायत की टी.एस.सी. सूचना ग्राम पंचायत के तहत (दीवार रंगकर या स्पेशल होर्डिंग के जरिये) पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित हो रही है या नहीं, इसकी जांच भी निरीक्षण द्वारा की जानी चाहिए । परियोजना प्रबंधकों को, जिले में, विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करना चाहिए जिनका दायित्व विभिन्न ब्लॉकों में, समय-समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा करना होगा। हर तिमाही में कम से कम एक बार ऐसी समीक्षा होनी चाहिए । इसी तरह, राज्य सरकार को भी प्रत्येक जिले में, हर तिमाही में एक बार, परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, समय-समय पर भारत सरकार अपनी समीक्षा अभियानों को राज्यों में भेजेगी ताकि कार्यान्वयन की गुणवत्ता की जांच की जा सके ।

परियोजना में संशोधन

23. संभव है कि बेसलाइन सर्वे करवाने के बाद, हार्डवेयर की विभिन्न श्रेणी की निश्चित आवश्यकताओं में बदलाव होगा । परियोजना के ऐसे परिशोधन की अनुमति पर्याप्त जांच के बाद ही दी जाएगी, और पेय जल आपूर्ति विभाग द्वारा उपयुक्त रूप से परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा । विषय को एन.एस.एच.सी. के सम्मुख अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा ।

रिपोर्टें

24. परियोजना अधिकारी तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत सरकार को निम्नलिखित प्रतिवेदन भेजे जाने चाहिएः

- मासिक प्रगति रिपोर्ट अगले माह की 20 तारीख तक भेज दी जाएगी (अनुबंध-I)
- वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी (अनुबंध-II)

- एक वित्तीय वर्ष में छः माह में एक बार शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदले जाने, यदि ऐसा किया गया है, की सूचना भेजी जाएगी ।

मूल्यांकन

25. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत टी.एस.सी. के कार्यान्वयन पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आवर्ती मूल्यांकन अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए । प्रतिष्ठित संस्थानों एवं संगठनों के जरिये मूल्यांकन अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए । राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यवस्थित इन मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए । इन मूल्यांकन अध्ययनों और भारत सरकार द्वारा या उसके प्रतिनिधि की ओर से संचालित समवर्ती मूल्यांकन में भी अवलोकन के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिविधिक कार्य किया जाना चाहिए । ऐसे अध्ययनों की लागत संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मानव संसाधन विकास घटक पर डाली जा सकती है ।

26. राज्य (राज्यों) में टी.एस.सी. परियोजनाओं के एक समूह के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष में दो बार कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा आयोजित की जा सकती है। इस समीक्षा में कम-से-कम दो अधिकारियों/पेशेवरों की बहु-अभिकरण की एक टीम को शामिल किया जा सकता है ।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

27. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन को और गति देने के लिए भारत सरकार ने **" निर्मल ग्राम पुरस्कार ङु** नामक एक पुरस्कार योजना आरंभ की है जो पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच किए जाने से मुक्त ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों के लिए है । निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना में निम्नलिखित घटक हैः-

(क) पात्रताः

(i) ऐसी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक और जिले जिनमें निम्नलिखित रूप में शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज है (क) व्यक्तिगत परिवारों का शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज,

(ख) शत-प्रतिशत स्कूल स्वच्छता कवरेज, (ग) खुले में शौच, शुष्क शौचालयों और मनुष्य द्वारा मैला ढोने से मुक्त, और (घ) पर्यावरण को स्वच्छ रखना ।

(ii) ऐसे व्यक्ति और संगठन को अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्र में पूर्ण स्वच्छता कवरेज के लिए प्रेरणा शक्ति रहे हैं ।

ख. प्रोत्साहन पैटर्नः-

प्रोत्साहन पैटर्न जनसंख्या मानदंड के आधार पर और नीचे दिए अनुसार होंगेः-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं.	विवरण	ग्राम पंचायत		ब्लॉक		जिला	
1.	जनसंख्या मानदंड	5000 तक	5001 और इससे अधिक	50,000 तक	50001 और उससे अधिक	10,00000 तक	10,00000 से अधिक
2.	अनुशंसित नकद प्रोत्साहन	2.0	4.0	10.00	20.00	30.00	50.0
3.	अलग-अलग व्यक्तियों को प्रोत्साहन	0.10		0.20		0.30	
4.	पंचायती राज संस्थाओं से इतर संगठन/संगठन्नों को प्रोत्साहन	0.20		0.35		0.50	

पंचायती राज संस्थाओं और अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार लागू करने के लिए आवेदन पत्र क्रमशः अनुबंध-न्त्त क और न्त्त ख में दिए गए हैं ।

ग. चयन प्रक्रियाः-

शत-प्रतिशत स्वच्छ ब्लॉकों और जिलों का निर्धारण करने के लिए सामान्य प्रक्रिया निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगी ।

(i) राज्य सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों और जिलों का निर्धारण और चयन करेगी जो पूरी तरह से कवर हैं और उपर्युक्त पैरा 2 (क) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुरूप है । चयन के पश्चात् वह भारत सरकार को रिपोर्ट भेजेगी।

(ii) जिलों, ब्लॉकों और पंचायतों के लिए भारत सरकार ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों की पूर्ण स्वच्छता कवरेज की स्थिति का पता लगाने के लिए स्वतंत्र मूल्यानकर्त्ता अथवा बहु-उद्देशीय दल (दलों) की नियुक्ति कर सकती है ।

(iii) पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉकों, जिलों, व्यक्तियों और संगठनों के वार्षिक चयन के लिए मानदंड तय करने के अभिप्राय से इस विभाग द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधी एक राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी ।

घ. प्रोत्साहन राशि का कैसे उपयोग किया जाएः

पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करने तथा उसका रख-रखाव के लिए किया जा सकता है। पी आर आई क्षेत्र में सूखे एवं तरल अवशिष्ट पदार्थ के निपटान, निकासी सुविधाओं एवं स्वच्छता मानदंड को यथावत बनाए रखने पर ध्यान दिया जना चाहिए ।

अनुसंधान

28. भारत सरकार ऐसे अध्ययन कराती रहेगी । तथापि, राज्य कार्यक्रम के आकार को बढ़ाने के लिए ऐसे अध्ययन शुरू कर सकते हैं । उसकी लागत का भार परियोजना के एच आर डी घटक पर दिया जा सकता है । निधियों की कमी की स्थिति में ऐसे कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता भारत सरकार से प्राप्त की जा सकती है ।

वार्षिक लेखा परीक्षा

29. जिला कार्यान्वयन एजेंसी को किसी चार्टर्ड एकांउटेट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षण कराना चाहिए तथा यह रिपोर्ट उसे राज्य सरकार और भारत

सरकार के सुपुर्द करना चाहिए । इसके बाद दूसरी तथा परवर्ती किस्तों की दावेदारी के समय जिला कार्यान्वयन एजेंसी को परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना चाहिए ।

परियोजना की समाप्ति

30. किसी जिले में जब एक परियोजना पूरी कर ली जाती है तब जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी लेखा प्रमाण पत्र और उपयोग प्रमाण पत्र समेत पूर्णता प्रतिवेदन राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति विभाग के सुपुर्द करेगी । पूर्णता प्रतिवेदन की स्वीकार्यता या इससे संबंधित अन्य जानकारी भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार तथा जिला कार्यान्वयन एजेंसी को दी जाएगी । किसी भी स्थिति में किसी टी एस सी परियोजना की परियोजना समापन अवधि अनुमोदन की तिथि और/अथवा भारत सरकार की निधियों की पहली किस्त की रिलीज से 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी । भारत सरकार द्वारा परियोजना पश्चात् मूल्यांकन औचक किया जाएगा । राज्य भी ऐसे मूल्यांकन कराने के लिए पहल कर सकते हैं और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार की सहायता मांग सकते हैं ।

अनुबंध-I

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान
मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह की ---------- के लिए
---------- जिला ----------राज्य

क. वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

	पारिवारिक शौचालय		स्वच्छता परिसर		विद्यालयीन शौचालय		बालवाड़ी के शौचालय		आर.एस.एम./पी.सी.	
	अनुमोदित	प्राप्ति	अनुमोदित	प्राप्ति	अनुमोदित	प्राप्ति	अनुमोदित	प्राप्ति	अनुमोदित	प्राप्ति
	ए पी एल	बी पी एल	ए पी एल	बी पी एल						
कुल										

ख. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

	पारिवारिक शौचालय							
	निर्मित				व्यय (लाख रूपये में)			
	अनु.जाति	अनु.जनजाति	सामान्य	कुल	अनु.जाति	अनु.जनजाित	सामान्य	कुल
कुल								

ग. वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

	व्यय (लाख रूपये में)																					
	पारिवारिक शौचालय			स्वच्छता परिसर			विद्यालयीन शौचालय			बालवाड़ी के लिए शौचालय			आर.एस.एम./ पी.सी.		प्रारंभिक गतिविधियां	प्रशासनिक शुल्क		आई.ई.सी.		कुल		
	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	केन्द्र	राज्य	पंचायत	केन्द्र	राज्य	अभिभावक शिक्षक संघ	केन्द्र	राज्य	पंचायत	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी
कुल																						

। जिला

परियोजना प्राधिकरण प्रखंडवार जानकारी राज्य सरकार को सौंपेंगे,

वहीं

राज्य जिलेवार जानकारी भारत सरकार को सौंपेंगे।

घ. निधियों की प्राप्ति

	केन्द्र	राज्य	पंचायत	लाभार्थी	कुल
कुल					

एस.सी.-अनुसूचित जाति

एस.टी. अनुसूचित जन जाति

लाभार्थी

पंचायत

कार्यालय की मुहर

पी.टी.ए.-शिक्षक-अभिभावक संगठन

अनुबंध-II

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
संपूर्ण स्वच्छता अभियान
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष 20 | | | वर्ष 20 | | |

वर्ष : ----------

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : ----------

(क) वास्तविक निष्पादन

घटक	**परियोजना का लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान**	**समग्र कार्य**
निजी पारिवारिक शौचालय			
महिला स्वच्छता कॉम्पलेक्स			
विद्यालयों के लिए शौचालय			
बालवाड़ी/आंगनवाड़ी के लिए शौचालय			
ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/निर्माण केन्द्र			

(ख) विशेष प्रावधान

श्रेणी	**परियोजना का लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान**	**समग्र कार्य**
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पारिवारिक शौचालय			
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पारिवारिक शौचालय			
शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पारिवारिक शौचालय			
विद्यालयों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय			

वित्तीय निष्पादन

(क) प्राप्तियां

त्रैमासिक के प्रथम दिवस में प्रारंभिक शेष : ---------- (लाख रूपए)
केन्द्र द्वारा जारी राशि : ---------- (लाख रूपए)
राज्य द्वारा जारी राशिः ---------- (लाख रूपए)
लाभार्थी/पंचायत द्वारा अंशदान : ---------- (लाख रूपए)
राशि का ब्याज : ---------- (लाख रूपए)
उपलब्ध राशि : ---------- (लाख रूपए)

(ख) व्ययः-

केन्द्र के हिस्से की राशि से व्यय : ---------- (लाख रूपए)
राज्य के शेयर के रूप में प्राप्त राशि से व्यय : ---------- (लाख रूपए)
लाभार्थी/पंचायत के हिस्से की राशि से व्यय : ---------- (लाख रूपए)
त्रैमासिक के दौरान हुआ कुल व्यय : ---------- (लाख रूपए)
कुल उपलब्ध राशि से व्यय का प्रतिशत : ---------- (लाख रूपए)

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

कार्यालय की मुहर

नाम :
पदनाम :

सनदी लेखाकार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कवर किए जाने वाले मुद्दे

- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा रखे जाने वाले बैंक खातों की संख्या (योजना के लिए केवल एक बैंक खाता खोला जाना चाहिए।)
- आवधिक जमा में अगर कोई निधियाँ रखी गयी हैं। (योजना की निधियों को केवल बचत खाते में रखने की अनुमति है।)
- क्या बचत खाते में जमा ब्याज प्राप्त हुआ और उसे योजना के लिए उपयोग में लाया गया।
- कार्यान्वयन एजेंसी को मिलने वाली रकम को उसके बैंक खाते में जमा करने में यदि बैंक द्वारा विलम्ब किया गया। यदि हां, तो ऐसे किए गए विलम्ब की अवधि।
- यदि रोकड़ बही और पासबुक के संबंध में शेष जमा का पाक्षिक तौर पर बैंक समाधान किया गया है। बैंक समाधान में, जमा ब्याज को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। 31 मार्च तक के बैंक समाधान का विवरण लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए।
- कार्यान्वयन ऐजेंसी द्वारा रोकड़ बही का समुचित रखरखाव।
- बैंक समाधान के अनुसार जारी किए गए चैक-जिन्हें 31 मार्च तक नहीं भुनाया गया। (इसे अथ-शेष के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए)
- वी.डब्ल्यू.एस.सी. को दी गई अग्रिम राशि में से ग्राम-वार किया गया वास्तविक खर्च और इनके पास उपलब्ध अंत शेष।
- अस्वीकार्य खर्च की मदें यदि कोई हैं।
- निधियों का अन्यत्र उपयोग, यदि कोई है।

अनुबंध द्ध ख्र्

सनदी लेखाकार की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कवर किए जाने वाले मुद्दों की चेक-लिस्ट

- क्या योजना के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जा रहा है।
- क्या कार्यक्रम की निधियाँ आवधिक जमा में रखी गयी हैं।
- क्या बचत खातों से प्राप्त ब्याज बैंक खाते में जमा हो रहा है और उनका उपयोग योजना के लिए किया जा रहा है।
- क्या कार्यान्वयन एजेंसी को मिलने वाली रकम को उसके बैंक खाते में जमा करने में, बैंक द्वारा विलम्ब किया गया। यदि हां, तो ऐसे किए गए विलम्ब की अवधि।
- क्या 31 मार्च तक की तिथि का बैंक समाधान विवरण लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया।
- क्या रोकड़ बही का समुचित रख-रखाव किया जा रहा है।
- क्या उन चैकों की संख्या को दर्शाया गया है, जो बैंक समाधान विवरण के अनुसार, जारी तो किये गये लेकिन 31 मार्च तक के एक वित्तीय वर्ष में भुनाये नहीं गये(नहीं भुनाये गये चैकों को अगले वित्तीय वर्ष के अथ शेष के हिस्से के रूप में लिया जाना है।)
- सभी वी.डब्ल्यू.एस.सी. को दी गई अग्रिम राशि में से ग्राम-वार किए गए वास्तविक खर्च के बारे में क्या एक सूची दर्शायी गयी है और क्या सभी वी.डब्ल्यू. एस. सी. के पास उपलब्ध अंत शेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।
- अस्वीकार्य खर्च की मदें, यदि कोई हैं।
- निधियों का अन्यत्र उपयोग, यदि किया गया।

अनुबंध - ङ

प्रारूप-क

जिला जल एवं स्वच्छता अभियान/डी.डब्ल्यू.सी./ कोर ग्रुप्स/वी.डब्ल्यू.एस.सी

दिनांक 1.4..... से 31.3..... तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

योजना का नाम----------

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
1. अथशेष/डी डब्ल्यू एस एम/ डी.डब्ल्यू.एस.सी/ कोर ग्रुप/वी डब्ल्यू एस सी (जैसा भी मामला हो)		1. दी गई अग्रिम राशि (i) वी डब्ल्यू एस सी (ii) एस ओ (iii) सेवा एजेंसियां (iv) अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां	
2. अनुदान प्राप्ति 1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार 3. अन्य एजेंसियां		2. लेखा-परीक्षा की फीस	
3. बैंकों/डी डब्ल्यू एस एम / डी.डब्ल्यू.एस.सी/कोर ग्रुप /वी. डब्ल्यू.एस.सी. से प्राप्त ब्याज		3. प्रशासनिक खर्च (यदि योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित हों) (क) वेतन एवं भत्ते (ख) यात्रा खर्च (ग) किराया, दर और कर (घ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री (ड.) प्रचार एवं विज्ञापन (च) डाक व्यय (छ) दूरभाष (ज) अवकाश वेतन एवं पेंशन योगदान (झ) मोटर वाहन रख-रखाव और मरम्मत	

		(ञ) कार्यालय आकस्मिकता (ट) कोई अन्य मद	
3. अग्रिम राशि/ऋण और (क) वी डब्ल्यू एस सी (ख) एस ओ (ग) सेवा एजेंसियां (घ) अन्य कोई कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त अनुदान का पुनर्भरण		4. स्टाफ को दी गई अग्रिम राशि, यदि कोई है (यदि योजना के अंतर्गत अनुमति हो)	
4. स्टाफ को दी गई अग्रिम राशि का पुनर्भरण		5. बैंक खर्च यदि कोई हो तो	
5. विविध		6. डी डब्ल्यू एस सी के लिए पूंजी के सृजन हेतु भुगतान	
		7. विविध	
		8 .अंतशेष डी.डब्ल्यू एस एम/ डी डब्ल्यू एस सी/कोर ग्रुप	

<u>**अनुबंध - ज्ख्र**</u>

<u>**प्रारूप-ख**</u>

जिला जल एवं स्वच्छता अभियान/डी. डब्ल्यू. एस. सी./ कोर ग्रुप/ वी डब्ल्यू एस सी

1.4....... से 31.3......... की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा

व्यय	राशि	आय	राशि
1. योजना खर्च i) वी डब्ल्यू एस सी ii) एस.ओ. iii) सेवा एजेंसियां (प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर)		1. (क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) अन्य एजेंसियां से वर्ष के दौरान प्राप्ता सहायता अनुदान जोड़- वर्ष के दौरान प्राप्य सहायता अनुदान । कमीं- पिछले वर्ष से संबंधित सहायता अनुदान	
2. लेखा-परीक्षा फीस		2. वर्ष के दौरान बैंक खातों से प्राप्त ब्याज <u>**जोड़- वर्ष के दौरान जमा**</u> कमी - पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज	
3. प्रशासन पर खर्च (I) एजेंसी कार्यालय (क) वेतन एवं भत्ते (ख) यात्रा खर्च (ग) किराया, दर और कर (घ) मुद्रण और लेखन सामग्री (ड.) प्रचार और प्रसार (च) डाक व्यय (छ) दूरभाष		3. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अप्रयुक्त राशि का पुनर्भरण	

(ज) अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान (झ)मोटर वाहन का रख-रखाव और मरम्मत (ञ)अन्य आकस्मिकताएं (ट) अन्य मदें			
4.विविध खर्च		4. विविध प्राप्तियां	
5. व्यय से अधिक आय, जिसे तुलन पत्र में दिखाया गया।		5. अधिक किया गया खर्च, जिसे तुलन में दिखाया गया।	

। इस मद के अंतर्गत वे अनुदान शामिल होंगे जो वर्ष के दौरान स्वीकृत तो किए गए परन्तु वर्तमान वर्ष में प्राप्त नहीं हुए।

अनुबंध- ज्ख्ख्

प्रारूप -ग

31 मार्च,..........................की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
जिला जल एवं स्वच्छता अभियान का नाम/ वी. डब्ल्यू.एस.सी...................

पूंजीगत निधि एवं देयता	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. जमा निधियां अथ शेष ----------- जमा/घटाव आय और व्यय खाते से अंतरित शेष खाता ३ / - -------------- अंत शेष ---------------- 2.वर्तमान देयता (त) बकाया खर्च/देय (त्त) अन्य कोई देयता		
कुल		
परिसंपत्तियां 1. स्थायी परिसम्पत्तियां (त) मोटर वाहन (त्त) फर्नीचर एवं जुडनार (त्त्त) कार्यालय उपकरण (त्ध) कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स (ध) पुस्कालय की पुस्तकें (ध्त) अन्य **2. वर्तमान परिसंपत्तियां एवं अग्रिम** (त) स्टॉक		

(त्त) अंत शेष क. उपलब्ध रोकड़ (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) ख. बैंक में उपलब्ध रोकड़ (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) ग. प्राप्त किए जाने वाला लेखा और वापस मिल सकने वाला अग्रिम (त) वी.डब्ल्यू.एस.सी. (त्त) एस ओ (त्त्त) सेवा एजेंसियां (त्थ) कर्मचारीगण घ. वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान जो वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हुआ। ।		
कुल		

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान ---------- रू0 की परिसम्पत्तियां अर्जित की गईं, जैसा कि संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है।

। इस मद के अंतर्गत वे सहायता अनुदान शामिल होंगे जो वर्ष के दौरान स्वीकृत तो किए गए परन्तु वर्तमान वर्ष में प्राप्त नहीं हुए।

अनुबंध- ज्र्र्र्

प्रारूप-घ

ब्लॉकों के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.वार भुगतान रजिस्टर का प्रारूप

1. योजना का नाम...

(अध्याय सं0 त्ध्)

क्र.सं.	तिथि	विवरण (योजना का ब्यौरा)	चैक सं.	रिलीज की गई राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्र का ब्यौरा	
					तिथि	राशि
कुल						

<u>अनुबंध- ख्र</u>

<u>प्रारूप-ड.</u>

वी.डब्ल्यू.एस.सी. के भुगतान रजिस्टर का प्रारूप

1. योजना का नाम...

(अध्याय सं0 त्ध)

क्र.सं.	तिथि	विवरण (योजना का ब्यौरा)	चैक सं.	रिलीज की गई राशि
कुल				

अनुबंध- ड़

फार्म

फार्म जीआरएफ 19-ए

(भारत सरकार के नियम 150 के नीचे निर्णय (ख्) को देखें)

उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए फार्म

क्रम सं0	पत्र सं0 और तिथि	राशि

प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिए गए, मंत्रालय/विभाग के पत्र सं0 ------------------के अंतर्गत,------------------ वर्ष के दौरान, -------------------- के पक्ष में, -----------------रू0 के अनुमोदित अनुदान में से और पिछले वर्ष के अप्रयुक्त अथ-शेष में से -------------------रू0 का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई थी और --------------- रू0 का शेष, जो वर्ष की समाप्ति पर उपयोग नहीं किया गया, को भारत सरकार को वापस कर लिया गया है (पत्रांक-----------------, दिनांक---------------- के अनुसार)/ और उसे अगले वर्ष में दिए जाने वाले अनुदान में समायोजित कर लिया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूँ कि उन शर्तों को पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है जिनके आधार पर अनुदान को स्वीकृत किया गया था और मैंने निम्नलिखित जांच की है जिससे पता चलता है कि निधियों का उपयोग वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था।

की गई जांच के प्रकार

1.
2.
3.
4.
5.

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

दिनांक .....